झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (शि0) राँची/PDS–12/2022– 369

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 30.05.2023

विषयः– राँची जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध प्राप्त परिवाद–पत्र पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करने एवं व्यवसायिक गतिविधि में शामिल रहने से सम्बन्धित परिवाद–पत्र ईमेल आईडी skaushaldirector@gmail.com द्वारा मेल के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवाद–पत्र में राँची जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री अल्बर्ट बिलुंग के विरूद्ध गम्भीर आरोप लगाए गए हैं।

अतः प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। परिवाद–पत्र में उल्लेखित मामलों की शीघ्र जाँच सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं जाँच प्रतिवेदन तथा कृत कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराया जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/05/2023

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

Gmail

food commission <jharfoodcommission@gmail.com>

Regarding unethical connivance of DSO and DSD agent to grab the ration of PDS shopkeepers and villagers in Ranchi, Jharkhand

1 message

S KAUSHAL <skaushaldirector@gmail.com> Thu, May 18, 2023 at 3:39 PM
To: dcran@nic.in, "jharfoodcommission@gmail.com" <jharfoodcommission@gmail.com>, "food.secy@gmail.com" <food.secy@gmail.com>, ed-del-rev@nic.in

S.KAUSHAL.pdf
977K

415
18/05/23

(841)

सेवा में

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी,
रांची।

विषय :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची श्री अल्वर्ट विलुंग एवं DSD अभिकर्त्ता संजीत कुमार यादव के अनैतिक साँठगाठ कर जन वितरण प्रणाली दुकानदार एवं ग्रामीणों का राशन हड़पने के संबंध में।

653
18-05-23

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर अनुरोध करना है कि हम सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार, रांची जिला वर्तमान जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची श्री अल्वर्ट विलुंग के आतंक से काफी त्रस्त है। DSO साहब द्वारा इसी तरह के मामलों में आरोपित लोगों को डीएसडी आवंटित किया है। अगर कोई जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा

आजकल एक लोक सेवक होने के नाते डीएसओ व्यक्तिगत व्यावसायिक गतिविधि में शामिल है DSO साहब का समय VESTIGE कम्पनी के प्रचार प्रसार में लगा रहता है।

DSO साहब अपने पत्नी के नाम से कम्पनी का कोर्ड लिए हुए है। जिसमें दिनांक 26,27,28 अगस्त 2022 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कम्पनी का प्रचार प्रसार के लिए इनके साथ जन वितरण दुकानदार गोदाम प्रबंधक DSO साहब रांची जिला के सभी आपूर्ति विभाग एवं DMJSFC के सारे कर्मचारी साहब के जी हजुरी में दिल्ली गए हुए थे जिसकी स्पष्टता वहां के सी.सी.टी.वी फुटेज से स्पष्ट हो जाएगा कि रांची जिला के कितने आपूर्ति विभाग

(२५७)

के कर्मचारी दिल्ली गए हुए थे। और वह अब सभी डीएसडी को मजबूर कर रहा है , एजीएम और अन्य पीडीएस दुकान मालिकों को कंपनी में नामांकन करना होगा अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जाएगा ।

डीएसओ और उनकी पत्नी को प्रत्येक व्यक्ति के नामांकन के लिए VESTIGE कंपनी से कमीशन मिल रहा है।

संजीत कुमार यादव जो नामकुम में डीएसडी हैं, अब डीएसओ के लिए एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं जो हर व्यक्ति को वेस्टीज ग्रुप में नामांकन के लिए मजबूर कर रहे हैं और इस एहसान काम के लिए उन्हें कडरू 1 और 2 आवंटित किया गया है।

संजीत यादव के द्वारा जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का प्रत्येक माह 5 क्विंटल से 25 क्विंटल तक खाद्यान्न कम दिया जाता है विरोध करने पर अपने आका श्री विलुंग साहब के माध्यम से उसके प्रकोप का भाजन बनना पड़ाता है। तरह–तरह के हथकंडे अपनाकर निलम्बित करने, बखरत करने एवं तरह–तरह के दण्डारोपण कर परेशान किया जाता रहा है जिसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे है।

1. रांची जिला दूकानदार संघ के अध्यक्ष श्री ओंकारनाथ झा के द्वारा कुछ दिनों पहले लिखित शिकायत की गई है जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
2. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग रांची के दिनांक 19.03.2021 न्यायादेश के कंडिका 14 के अंतिम पारा में स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में किन्ही भी जन वितरण प्रणाली वितरण के स्तर से संलिप्तता पायी गई है। प्रस्तुत मामला विभागीय स्तर से चूक प्रतीत होता है परन्तु इसके विपरीत विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी रांची श्री

अल्वर्ट विलुंग अपने कार्यालय आदेश ज्ञापांक 76 / अनु० रांची दिनांक 11.02.2021 के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है। जबकि अनुभाजन शाखा के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 57/अनु0 दिनांक–27.01.2021 के द्वारा श्री जादों उरांव की अनुज्ञप्ति निलम्बनयुक्त किया गया परन्तु कामेश्वर बहाईक की अनुमति अनुभाजन शाखा के कार्यालय ज्ञापांक 155 अनु दिनांक 22 02 2021 को निलम्बित किया गया। माननीय आयोग द्वारा दिनांक 14 01 2021 के अनुसार किसी भी प्रकार का दण्डनीय कारवाई पर रोक लगाई गई थी इसके बावजूद श्री विलुंग साहब ने आयोग की आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए निलम्बन की कारवाई की गई। यह बिल्कुल समझ से परे है।

माननीय आयोग के दिनांक 19 03 2021 को पारित न्यायादेश में किसी भी जन वितरण प्रणाली दूकानदार की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई तब श्री विलुंग साहब द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं उनके द्वारा निर्गत नोटिस पत्रों 06 अनु0 दिनांक 05 01 2022 द्वारा कुल 1463306 द्व का दण्ड लगाया जाना कहाँ तक न्यायोचित है। दण्डनीय कारवाई जांच का विषय है साथ ही साथ एक और आरोपी का निलम्बन मुक्त कर दिया गया जबकि दोनो पर एक ही तरह का आरोप लगाया गया था जिसमें एक को दण्डित किया गया एवं दूसरे को दण्ड से मुक्त कर दिया गया। यह कहां का न्याय है।

श्री अल्बर्ट विलुंग एवं नामकुम प्रखण्ड के वैव अभिकर्ता श्री संजीत यादव के एक और कारगुजारी पर दृष्टिपात किया जाना अत्यंत आवष्यक है

दिनांक 25 03 2022 को नामकुम प्रखण्ड के एक डीलर श्री मनीष टोप्पो अनुज्ञप्ति सं0 02 2021 द्वारा उन्हें कम राशन उपलब्ध कराये जाने के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नामकुम एवं तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी नामकुम के पास शिकायत की जिसकी जांचोपरांत काफी कम अनाज उपलब्ध कराने के आरोप में तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति

238

पदाधिकारी श्री सिन्हा के अनुशंसा पर डीलर द्वारा खरसीदाग ओ० पी० में प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें स्पष्ट रूप से ।ळड एवं वैक अभिकर्ता श्री संजीत यादव को आरोपी बनाया गया।

यह मामला श्री विलुंग साहब के संज्ञान में दिनांक 26 03 2022 को आने पर अपने चहेते अभिकर्ता श्री संजीत यादव को बुलाकर एक लिखित शिकायत ;जो मनगढंत एवं मिथ्यापूर्ण) की गई एवं आनन फानन में DSD अभिकर्ता का बचाव करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को ही एक झुठे जांच में फसाकर गुमराह करने की कोशिश की गई जो बाद में उपायुक्त रांची के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है।

यहां यह कहना ज्यादा उचित है कि प्राथमिकी दर्ज होने पर अविलम्ब श्री संजीत यादव DSD अभिकर्ता को काली सूची में डालते हुए उसके एकरारनामा को रद्द किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नही कर श्री विलुंग ने श्री यादव को बचाते हुए अपने कार्यालय आदेष ज्ञापांक 437 / आठ दिनांक 29.03.2022 द्वारा प्रत्यक्ष रुप से बचाव किया।

इस उपकार के बदले में श्री संजीत यादव एवं श्री अंकित कुमार AGM नामकुम प्रखण्ड द्वारा श्री विलुंग को अपने साथ दिल्ली एवं अहमदाबाद का सैर हवाई जहाज से कराया गया एवं 5 स्टार होटलों में ठहराया गया जिसके प्रमाण स्वरुप दिनांक 21.07.2022 को इंडिगो फ्लाइट PNR No NQ 159A एवं फ्लाइट सं0 6E6792 की रांची से लखनउ एवं लखनउ से अहमदाबाद इंडिगो फ्लाइट 6E6891 तथा वापसी दिनांक 24. 07.2022 को फ्लाइट सO (PNR No WRSMHQ) फ्लाइट सं0 6E984 अहमदाबाद से दिल्ली एवं फ्लाइट सं0 615037 से दिल्ली से रांची की सफर तय की गई एवं विभिन्न

स्थलों पर दोनों का साथ में खिचाये गये फोटो इसके प्रमाण है। यह हवाई वैसे क्यों कर किसके पैसों से की गई यह एक जांच का विषय है।

नामकुम प्रखण्ड के इस प्रकरण से श्री विलुंग का आचरण एवं अपने पद के दुरुपयोग की इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता है। एक रक्षक खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले एवं गरीबों तक उचित मात्रा में राशन उपलब्ध कराने की कटिबद्ध प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को बलि का बकरा बनाया गया एवं उसे उनके पद से पदमुक्त किया गया जबकि उन्हें विलुंग साहब से उच्च स्तरीय वरीय पदाधिकारी माननीय उपायुक्त महोदय के आदेश ज्ञापांक 4104 / गो० दिनां 12.10.2021 के द्वारा पदभार दिया गया था उन्हें हटाने में अपने वरीय पदाधिकारी उपायुक्त का संचिका में अनुमोदन भी प्राप्त करना अपना तौहीन मानते हुए अपने कार्यालय आदेश ज्ञापांक 203 / अनु0 दिनांक 14.07.2022 द्वारा हटा दिया।

नामकुम प्रखण्ड की और दिलचस्प मामला है

नामकुम प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली दूकानदार संघ के अध्यक्ष समीउल्लाह खान अनुज्ञप्ति सं0 25 04 ने DSD अभिकर्ता श्री संजीत यादव के द्वारा खाद्यान्न चोरी किये जाने पर विरोध प्रकट किया गया एवं दिनांक 15 11 2021 को स्थानीय विधायक से षिकायत की गई तब उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आका श्री अल्वर्ट विलुंग से शिकायत की। श्री विलुंग ने फौरन कारवाई करते हुए अपने कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1245 आ0 दिनांक 17 11 2021 द्वारा उक्त डीलर के AAY कार्डधारियों की जांच प्रतिवेदन समर्पित किया उनके जांच में 196 AAY कार्डधारियों में से मात्र 46 कार्डधारी ही AAY की योग्यता धारक है शेष 150

कार्डधारी अयोग्य है। उन अयोग्य कार्डधारियों को श्री दिलुंग साहब को उन कार्डधारियों के कार्ड को निरस्त करना चाहिए था उल्टे उन्होंने श्री खान को कार्यालय आदेश ज्ञापांक 36 आ० दिनांक 10 01 2022 द्वारा निलम्बित कर दिया गया एवं अपने चहेते श्री यादव के पावर का एहसास भी खान एवं नामकुम प्रखण्ड के अन्य डीलरों को करवा दिया गया और यह एक संदेश का काम किया कि जो भी डीलर वैक्व अभिकर्ता का विरोध करेगा उसे भी निलम्बित किया जाएगा।

फिर दिलचस्प वाक्या यह होता है कि पुनः दो महीने के अंदर श्री खान को 125000 . रु० लेकर बिना हील हुज्जत के उसे निलम्बन मुक्त कर दिया जाता है। ;कार्यालय ज्ञापांक 277 आ दिनांक 25 02 2022 के द्वारा यहां यह जानने योग्य है कि श्री खान को किस-आरोप में निलम्बित किया गया और इस बीच जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा क्या कारवाई किया गया कि पुनः श्री खान निर्दोष साबित हो गया और तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जांच में अयोग्य पाए गए 150 AAY कार्डधारियों पर क्या कोई दण्ड लगाया गया था श्री खान पर कोई दण्ड निर्धारित किया गया चूकि प्रतिमाह 150 * 35 KG अर्थात कुल 5250 KG खाद्यान्न सरकार का किसके द्वारा हजम किया जा रहा है। इतनी बड़ी साजिश का भंडाफोड़ तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी नामकुम द्वारा किये जाने पर क्या न्याय संगत कारवाई श्री दिलुंग के द्वारा नही किया जाना चाहिए था ?

6. उक्त परिपेक्ष्य में सरकार के अपर सचिव श्री सतीश चन्द्र चौधरी, खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उनके पत्रांक 3446 दिनांक 14.11.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है, जिसे 18.11. 2022 तक श्री दिलुंग को स्पष्टीकरण समर्पित कर दिया जाना है परन्तु आज दिनांक तक स्पष्टीकरण विभाग को अप्राप्त है।

7. सरकार के अपर सचिव श्री चौधरी द्वारा उनके पत्रांक 3473 दिनांक 16.11. 2022 जो आपको संबोधित है।

(135)

अतः महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने स्तर से अथवा किसी ईमानदार एवं वरीय पदाधिकारी से श्री विलुंग एवं DSD अभिकर्ता के संलिप्तता की जांच कराने की कृपा की जाय। जिससे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी से यहाँ के भोली–भाली जनता को इनके भ्रष्ट आचरण से निजात मिल सके एवं श्री विलुंग पर कठोर से कठोर कारवाई करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी

प्रतिलिपि :–

1. पवर्तन निदेशालय, रांची
2. खाद्य सचिव झारखण्ड सरकार, रांची।
3. खाद्य निदेशक, झारखण्ड, रांची।
4. खाद्य आयोग, रांची।
5. उप विकास आयुक्त, रांची।